International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

महिला सशक्तिकरणः एक ऐतिहासिक अवलोकन

डॉ० कमलकान्त

सहायक आचार्य

शिक्षक–शिक्षा विभाग, डी.ए.वी. कॉलेज, सिविल लाइन्स, कानपुर नगर

सांराश

महिला सशक्तिकरण वर्तमान समय का एक ज्वलंत मुद्दा है महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा तथा आर्थिक तरक्की के अवसर मिल सके। समाज में महिलाओं के वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिये उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है।

सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जागरूकता तथा बेहतर नियंत्रण के लिये प्रयास द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिये समर्थ स्वतंत्र होता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो महिला एक सर्वांगीण एवं बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त सक्रिय भागेदारी मे विश्वास रखता है। एक राष्ट्र का सर्वांगीण एवं पूर्ण विकास तभी संभव है जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान व पद दिया जाये तथा उन्हें पुरूषों के साथ–साथ विकास का सहभागी माना जाये।

महिला सशक्तिकरण को समझने के लिये हमे सभी कालखंडों में उनके वैभव तथा समाज के विन्यास को समझना होगा जिस तरह से समाज में उतार चढ़ाव हुये है। उसी तरह से नारी के प्रति नजरिये में परिवर्तन आया है। सामाजिक व्यवस्था की स्पष्ट छाप भारतीय नारी पर दिखाई देती है। इतिहास के कालखण्ड कहीं उनकी वैभवगाथा से भरे हैं तो कहीं उनकी पहचान पददलित अबला नारी के रूप में हुयी है भारतीय महिलाओं की वास्तविक स्थिति को समझने के लिये हमें इतिहास के विभिन्न कालखंडों को समझना होगा। महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक अवलोकन करने हेतु हम इतिहास को कई कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं।[1]

1. प्राचीन काल में महिला सशक्तिकरण
2. मध्यकाल में महिला सशक्तिकरण
3. आधुनिककाल में महिला सशक्तिकरण

मुख्य शब्दः– सशक्तिकरण, ऐतिहासिक, आन्दोलन, वैदिक, बौद्धकाल, मध्यकाल, आधुनिक युग

प्रस्तावना

अपनी निजी स्वतंत्रता और स्वयं के निर्णय के लिये महिलाओं को अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है। परिवार और समाज की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुये अपने विचार, अधिकार, स्वतंत्रता तथा निर्णय लेते हुये अपने आपको परिपक्व बनाना, महिला सशक्तिकरण का प्रमुख लक्ष्य है किसी भी काल में, कोई भी समाज या देश तभी

सशक्त बन सकता है जब वहाँ की महिलायें सशक्त हो महिला की प्रगति पूरे घर, परिवार, समाज एवं राष्ट्र की प्रगति मानी जाती है।

विषय विश्लेषणः भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यता सिन्धु सभ्यता मानी जाती है। उत्खनन से प्राप्त नृत्यांगना की कांस्य प्रतिमा, विभिन्न मुहरो पर उत्कीर्ण नारी चित्र तथा एक मुहर पर नारी गर्भ से वनस्पति का जन्म होते हुये दिखना। यह प्रदर्शित करता है कि इस काल में महिलाओं को पूजनीय माना जाता था। सैंधव सभ्यता से प्राप्त मुहरों पर मातृशक्ति के प्रतीक के रूप में मातृदेवी के चित्र समाज में उनके स्थान को निर्धारित करते हैं। सिंधु सभ्यता में नारी को उर्वरा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था।

ऐतिहासिक युग अर्थात ऋवैदिक काल में पितृसत्तात्मक सामाजिक संगठन होने पर भी समाज में स्त्रियों की प्रतिष्ठा थी। बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक जीवन में उसके स्त्री, कन्या तथा माता के रूप में निरन्तर सम्मान दिया जाता था।[2] महिलाओं के लिये गृहस्वामिनी तथा सहधर्मिणी जैसे शब्द उसकी पारिवारिक गरिमा एवं महत्व के परिचायक माने जाते हैं। कन्याओं को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। महिलायें सभाओं में भाग लेती थी।[3] अनेक स्त्रियाँ रणभूमि में अपने पतियों की सहायता करती थी समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था पुत्र के समान पुत्री को भी उपनयन शिक्षा तथा यज्ञादि का अधिकार प्राप्त था ऋग्वेद में पत्नी के लिये 'जायदेस्तम' शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका तात्पर्य होता है पत्नी ही गृह है।

वैदिक काल की कुछ विदुषी महिलाओं में अपाला, घोषा, विश्ववारा लोपामुद्रा आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। ऋवैदिक काल में हमे अनेक देवियों का उल्लेख मिलता है जिसमें अदिति, उषा, सरस्वती श्रद्धा तथा इडा के नाम महत्वपूर्ण है।[4] उत्तर वैदिककाल में पूर्व काल की अपेक्षा उनकी स्थिति में गिरावट आनी प्रारंभ हो गयी। कन्याओं को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया जिसके कारण उनकी शिक्षा अवरूद्ध हो गयी। इसी काल में सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थववेद की रचना की गयी थी। यह वह कालखंड था जब समाज में बाल विवाह, बहु पत्नी प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रथा, देवदासी भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा आदि कुरीतियाँ व्याप्त हो गयी। इस काल में महिलाओं का दायित्व गृह कार्य करने तक तथा सीमित रह गया था और पुरूष घर से बाहर व्यापार तथ अन्य उद्यम करते थे। धर्मशास्त्रों में विधवाओं को समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। इसी कालखण्ड के दौरान पैतृक सम्पति में स्त्रियों के अधिकारों में भी कटौती होने लगी। ऐतेरेय ब्राह्मण में कन्याओं के जन्म की निंदा की गयी है तथा उनके जन्म को चिन्ता का कारण बताया गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को घृत तथा मंदिरा की श्रेणी में रखा गया है। इस काल में स्त्रियों के लिये संगीत नृत्य तथा गायन को महत्वपूर्ण माना गया, हालांकि वह अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। इस काल में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का परम विदुषी महिला के रूप में वर्णन है। उपनिषद काल में कात्यायनी, मैत्रेयी तथा गार्गी जैसी महिलाओं के नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया तथा धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया।[5] जैन काल में महावीर स्वामी की माता त्रिशला उनकी पत्नी यशोदा जैसी विदुषी महिलाओं का वर्णन हमे मिलता है। महावीर स्वामी के साथ पुष्पचूला, शिवा, तार्किक वाद–विवाद करने वाली जयन्ती, ज्ञान और दर्शन में पारंगत इस युग की प्रमुख विदुषी महिला थी। इनके अतिरिक्त कामा प्रभावती, पद्मावती, देवनंदा, ब्राह्मी और सुन्दरी आदि जैन युग की प्रमुख विदुषी महिलायें थी जिन्होंने इस

सुधारवादी धर्म के विकास और उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया।[6] जैन ग्रंथों में वर्णित चन्दना, जो बाद में जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी बनी थी, अत्याधिक महत्वपूर्ण महिला थी, कालांतर में मृगवती ने भी चंदन वाला से शिक्षा ग्रहण करके उसका शिष्य बनना स्वीकार कर लिया था।

जैन महिलाओं ने अपनी उदारता का परिचय देते हुये कई बाग लगवाये तथा स्तूप भी बनवाये जो उनकी धर्म के प्रति गहन आस्था के द्योतक थे। जैन कला उच्च कोटि की थी। उड़ीसा की हाथी गुम्फा मंदिर व मूर्तियाँ तथा मैसूर की बाहुबली की मूर्ति, कला की श्रेष्ठता का सजीव उदाहरण है जैन धर्म की अनुयायी महिलाओं ने अपनी लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने का अथक प्रयास किया। जैन परिवारों में कन्या का जन्म शुभ माना जाता था। प्रसिद्ध विद्वान हीरा लाल जैन ने अपनी पुस्तक 'भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान' में वर्णन किया है कि कन्याओं को पिता की सम्पति में उत्तराधिकार दिया जाता था। धर्मायुत सागर से जानकारी प्राप्त होती है कि जैन युग में स्वयंकर प्रथा का भी प्रचलन था। पत्नी को समान अधिकार प्राप्त थे वे पवित्र स्थलों पर यात्रा करने को स्वतंत्र थी पर्दा प्रथा का प्रचलन नही था।

इस काल में राजा शतनीक की पत्नी वासवदत्ता ने शिक्षा और कला को प्रोत्साहन दिया था। दशरथ की पत्नी सुप्रभा, प्रसेनजीत की पत्नी मल्लिका आदि कई महिलायें राजनीति में निपुण थीं। खारवेल राजा की पत्नी ने कुछ गुहा मंदिरों का निर्माण कराया था। रानी लक्ष्मीमती और कुछ चौहान तथा चन्देल रानियों नृत्य ने भी जिनालय बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, नर्तकियों को भी जैन धर्म मे सम्मान दिया जाता था। चम्पा तथा बोधा जैसी कुछ नर्तकियों ने गायन को त्याग जैन धर्म अपना लिया था।

महिला जीवन मे स्वतंत्रता का प्रारंभ जैन धर्म मे दृष्टिगोचर होता है वे स्वतंत्र व स्वेच्छापूर्ण जीवन व्यतीत करती थी। वे शिक्षिका, कवियत्री और साध्वी के रूप में ख्याति प्राप्त करती थी। कुछ प्रसिद्ध कवियत्रियों मे चन्द्रावती विमलामती, रत्नामती आदि के नाम उल्लेखनीय है। अतः स्पष्ट है कि जैन धर्म एवं रूढियों में जकड़ी महिलाओं को मुक्ति प्रदान की। बौद्ध साहित्य में हमें सिद्धार्थ की मौसी महाप्रजापति गौतमी का उल्लेख मिलता है, जिसने बौद्ध धर्म के प्रसार तथा एक बौद्ध भिक्षुणी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। बौद्धकाल की कुछ महिलाओं ने थेरीगाथा जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी।

बौद्ध काल मे प्राप्त विभिन्न ग्रंथो से यह पता चलता है कि समाज मे स्त्रियों को बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त नहीं था। स्त्री के अस्तित्व को समाज में आदर्श माना जाता था। महात्मा बुद्ध पहले स्त्रियों के संघ प्रवेश के पक्ष में नहीं थे उन्होंने अपने शिष्य आनंद के अनुरोध पर बाद में स्त्रियों को संघ प्रवेश की आज्ञा दी।[7] बौद्ध काल में वेश्याओं को भी प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था, दास प्रथा का भी प्रचलन था, अनेक घरों में दासियों के होने का उल्लेख मिलता है, महिलाओं ने अध्यापिकाओं के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी वे ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करके ज्ञान प्राप्त करती थी। खेमा उस युग की बहुत विद्वान महिला थी जिसकी प्रसिद्धि दूर–दूर तक फैली हुयी थी।

मौर्य काल तक आते–आते महिलाओं की स्थिति में पतन का प्रारंभ हो चुका था। निःसंदेह इस युग में भी महिलायें वैदिक काल के समान शिक्षा प्राप्त करती थी धार्मिक व सामाजिक उत्सवों एवं अनुष्ठानों में भाग लेती थी गुप्तचर एवं सम्राट के अंगरक्षक के रूप में उन्हें शासकीय सेवा में रखा जाता था। परन्तु वे स्वतंत्र नहीं थी उन पर

कई प्रकार के अंकुश लगे हुये थे। इस युग मे वेश्याओं का भी उल्लेख मिलता है उन्हें गणिका अथवा सयाजीवा कहा जाता था। राज्य वेश्यावृति में संलग्न महिलाओं से कर वसूल करता था। इस काल की उल्लेखनीय महिलाओं में सम्राट अशोक की पत्नी श्रीदेवी व पुत्री संघमित्रा एवं अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य की पत्नी यशोमती थी।

गुप्तकाल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था इस काल मे महिलाओं का प्रतिष्ठित स्थान प्रदान किया गया था तथा उनके जन्म को दुर्भाग्य का कारण नहीं माना जाता था यद्यपि पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता था कालिदास की रचना कुमार संभव में कन्या को कुल का प्राण कहा गया है स्त्री का पद माता एवं पत्नी के रूप में ऊँचा था तथा उसे स्त्री रत्न एवं उसके वीरप्रसविनी नाम से संबोधित किया जाता था, सती प्रथा का प्रचलन था परन्तु उसे समाज में अधिक मान्यता प्राप्त नहीं थी।[8] सती प्रथा के प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हमको इसी कालखंड में प्राप्त होता है नारद एवं पराशर स्मृति में विधवा विवाह का समर्थन किया गया है। गुप्त काल में विवाह की आयु कम हो गयी तथा कन्याओं का विवाह 13 से 14 वर्ष की आयु में ही कर दिया जाने लगा। इस बाल विवाह का मूल कारण दूसरी शताब्दी ईसा के पूर्व के पश्चात भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण को माना जाता था। बाल विवाह होने के कारण महिलाओं की शिक्षा प्रभावित होने लगी। याज्ञवलक्य स्मृति कन्या के लिये उपनयन संस्कार तथा वेदाध्यन का पूरी तरह निषेध करती है अशिक्षित होने के कारण वह पूरी तरह से पुरूष वर्ग पर निर्भर हो गयी। इस काल मे देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था। पुराणों एवं कालिदास के ग्रंथ मेघदूत से इसकी पुष्टि होती है। वात्स्यायन ने अपनी पुस्तक कामसूत्र मे गणिकाओं का उल्लेख किया है वह पुत्र जन्म के समय तथा अन्य अवसरों पर नृत्य करने के लिये नगर में भ्रमण करती थी। वसंत सेना नामक गणिका के द्वारा अपना व्यवसाय छोड़कर विवाह करने का उल्लेख मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि गणिकायें पारिवारिक जीवन व्यतीत कर सकती थी कालिदास ने उज्जयिनी के महाकाल मंदिर में नृत्यगान करने वाली देवदासियों का विवरण दिया है।

गुप्तकाल में पर्दा प्रथा का सामान्य प्रचलन नहीं मिलता तथा महिलायें स्वतंत्रतापूर्वक विचरण कर सकती थी, परन्तु गुप्तकाल में ही पहली बार घूंघट शब्द का प्रचलन मिलता है। संभवतः कुलीन वर्ग की महिलायें घर से बाहर जाते हुये अपना मुँह ढँककर चलती थी।

सातवाहन काल के शासकों ने अपने नाम के साथ अपनी माता के नाम का प्रयोग करके स्त्रियों के सम्मान को प्रदर्शित किया है यद्यपि उत्तराधिकार के रूप से भाग लिया। इस कालखंड में स्त्रियों के द्वारा बड़ी मात्रा में दान दिये जाने का उल्लेख तत्कालीन अभिलेखों में प्राप्त होता है। यह इस बात का प्रमाण रूप में पुरुष का ही चयन होता रहा था। इस काल में शातकर्णि प्रथम की पत्नी नागानिका तथा गौतमी शातकर्णि की माता गौतमी वलक्षी ने प्रशासन में सक्रिय है कि महिलाओं को सम्पति सम्बन्धी अधिकार प्राप्त होते थे। इस काल से प्राप्त अनेक मूर्तियों में महिलाओं को अपने पतियों के साथ बौद्ध प्रतीकों की पूजा करते हुये सभाओं में भाग लेते हुये तथा अतिथियों का सत्कार करते हुये देखते हैं।

हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात तथा दिल्ली सल्तनत की स्थापना के मध्य के काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है इस काल मे स्त्रियों के अधिकारों एवं उनकी स्थिति में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगत होते है विदेशी आक्रमणों की प्रचुरता ने सामाजिक व्यवस्था को अत्यन्त कठोर बना दिया। भरत जति सामाजिक, आर्थिक एवं

सांस्कृतिक पतन के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हैं इस काल के साहित्य में महिलाओं को एक योग्या के रूप में प्रदर्शित किया गया है।[9]

सातवीं शताब्दी के मध्य से बारहवीं शताब्दी के अंत तक के युग को राजपूत युग की संज्ञा दी गयी है इस काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में काफी गिरावट आयी हालांकि राजपूत स्त्रियों को स्वतंत्रतापूर्वक स्वयंवर करने का अधिकार था राजपूत काल में मुसलमानों के अत्याचारों के कारण नारी की सुरक्षा को लेकर उनको घर में बंद रखने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। इस काल में महिलाओं के द्वारा अपने सतीत्व की रक्षा हेतु 'जौहर' प्रथा के प्रमाण मिलते हैं कुलीन बर्ग में बहुविवाह प्रथा का प्रचलन था, सती प्रथा में बढ़ोत्तरी हुयी। कुछ कबीलो ने तो लड़कियों को जन्म के समय ही मार दिया जाता था। लड़कियों को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने के लिये उनका विवाह बचपन में ही कर दिया जाने लगा विधवाओं को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा उनके सिर के बाल काट दिये जाते थे। बाल विवाह के कारण लड़कियों की शिक्षा का पतन होता जा रहा था। राजपूतकाल में धीरे–धीरे महिलाओं को शूद्रों के समान समझा जाने लगा था। महिलाओं को जो आदर एवं सम्मान प्राचीनकाल में प्राप्त था वह राजपूतकाल में कम होता जा रहा था। इस प्रकार मध्ययुग मे नारी घर की तक ही सीमित हो गयी।

आधुनिक युग का आरंभ 19 वीं शताब्दी से माना जाता है 1857 की क्रांति के भारत में पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया। अंग्रेजो ने सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन किये तथा इस युग में अनेक समाज सुधारक हुये जिन्होंने सदियों से उपेक्षित और प्रताडित नारी की समस्याओं को वाणी देने का महान कार्य किया। राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा को महत्व दिया जिससे महिलायें जागरूक हुयी और अपने अधिकारों को समझने लगी। 1900 ई0 में महिलाओं ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और तदन्तर वे राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगी। इसके साथ ही अखिल भारतीय महिला परिषद के प्रयासों से शिक्षा का प्रचार–प्रसार पर्दा निषेध दहेज प्रथा का विरोध आदि कार्यक्रमों को जारी रखा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये चलाये गये आंदोलनों में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया वह जागरूक होने लगी और अपने अधिकारों के लिये लड़ने लगी। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद, ईश्वरचन्द विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, महात्मा गांधी आदि महान सुधारकों ने स्त्री शिक्षा के महत्व को समझा और अपना ध्यान केन्द्रित किया एक तरफ सती प्रथा का उन्मूलन बाल विवाह पर प्रतिबंध, विधवा पुर्नविवाह की स्वीकृति आदि कानून बनाकर महिलाओं को सामाजिक अन्याय से राहत प्रदान की गयी वहीं दूसरी ओर उनकी शिक्षा का भी प्रबंध किया गया। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा, महिलाओं को सम्पति के अधिकार देने, बाल विवाह समाप्त करने एवं महिलाओं में शिक्षा का प्रचार करने के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किये।

ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज आदि संस्थाओं ने नारी के उद्वार हेतु अनेक प्रयास किये रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसायटी आदि का भी योगदान महत्वपूर्ण रहा। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के प्रयास से अंग्रेजी सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया।

शिक्षा के प्रसार और सामाजिक कुरीतियों के कम होने पर नारी में नवीन चेतना का संचार हुआ भारत को स्वतंत्र कराने के लिये नारी भी पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने व गांधी जी ने महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन

में भाग लेने के लिये प्रेरित किया जिसके फलस्वरूप पहली बार महिलाएँ घर की चहारदीवारी से निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से अपनी भागेदारी निभाने लगी।

ब्रिटिशकालीन प्रमुख क्रांतिकारियों महिलाओं में रानी लक्ष्मीबाई, उषा मेहता, सावित्री बाई फूले, बेगम हजरत महल नायडू, कमला नेहरू, अरूणा आसफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सुहासिनी गांगुली प्रीतिलता वाडेडार, वीणा दास, रानी चेनम्मा, कनकलता वरूआ, मांतंगिनी हाजरा आदि है। इन सबके अतिरिक्त असंख्य महिलाये हैं जिन्होंने अपने अधिकारों को पहचाना तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नयी गति देने के साथ महिलाओं के स्वतः विकास के लिये उन्हें प्रेरित किया।

स्वतंत्रता के पश्चात बदली हुयी सामाजिक स्थितियों में स्त्रियों की शिक्षा और रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि हुयी सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाये भारत की स्वतंत्रता के बाद से होने वाले उल्लेखनीय परिवर्तनों में से एक है नारी समाज की अपेक्षित मुक्ति उनका घरों की चाहरदिवारियों से निकलकर दुनियाँ की गतिविधियों में शामिल होना। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिये अनेक कानून बनाये गये ऐसे अधिनियमों में हिन्दु विवाह अधिनियमों 1955 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 हिन्दू नावालिग और संरक्षता अधिनियम 1956 दहेज विरोधक अधिनियम आदि प्रमुख है।

निष्कर्ष

अतः भारत के इतिहास का विश्लेषण करने से हमारे समक्ष यह तथ्य सामने आता है कि भारतीय महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं कभी प्रारंभिक दौर में महिलायें पूर्ण सशक्त थी पूर्व मध्य काल तक आते–आते उनकी स्थिति में गिरावट होने लगी थी और उन्हें भोग विलास की वस्तु है। समझा गया, महिला सशक्तिकरण के अधिकार समाप्त हो गये इस कालखण्ड में लिखित साहित्य तथा खजुराहो से प्राप्त मूर्तियाँ उनकी इस स्थिति का द्योतक मध्यकाल में उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली गयी परन्तु आधुनिक काल में बिट्रिश कालीन भारत से उनकी स्थिति मे सुधार हुआ और महिलाओं ने शैक्षणिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक, खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों के नये आयाम तय किये हैं आजादी के पूर्व एवं बाद के कालखंडों में महिलाओं के लिये कानून बनाये गये हैं आज की महिलायें आत्मनिर्भर बनकर न केवल स्वयं को सशक्त कर रही है बल्कि परिवार समाज एवं पूरे राष्ट्र को सशक्त एवं समुन्नत बना रही है।

संदर्भ सूची

1. डॉ. मंजू शुक्ला, महिला साक्षरता एवं सशक्तिकरण, भारत प्रकाशन, लखनऊ, 2021. पृष्ठ 8
2. डॉ0 के0एल0 खुराना एवं डा0 एस0एस0 चौहान, भारतीय इतिहास में महिलाये, लक्ष्मी नारायण, अग्रवाल, आगरा 2014–15, पृष्ठ 12
3. वही पृष्ठ 13
4. वही पृष्ठ 14
5. सत्यकेतु विद्यालंकार, मार्य समाज का इतिहास, श्री सरस्वती सदन, नई दिल्ली, 2017 पृष्ठ–161

6. (ए०एल०) वाशम अदभूत भारत, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कंपनी आगरा पृष्ठ 40

7. द्विजेन्द्र नारायण झा, कृष्णमोहन श्रीमाली, प्राचीन भारत का इतिहास हिन्दी माध्यम कार्यन्वयन निदेशालय, दिल्ली 2001, पृष्ठ 232

8. वही पृष्ठ 233

9. डा0 कैलास चन्द्र जैन, प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक संस्थाएँ, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 1987, पृष्ठ 40

10. खुराना एवं चौहान, भारतीय इतिहास में महिलाएँ, उपरोक्त वर्णित, पृष्ठ–14

11. वही, पृष्ठ 130

12. वही पृष्ठ 30. 31

13. वही पृष्ठ 31

14. नेमिशरण मित्तल, प्राचीन समाचार, दिल्ली 1988 पृष्ठ 280

15. डॉ0 राजकुमार, नारी शोषण समस्यायें एवं समाधान, दिल्ली, 2003 पृष्ठ–1

16. वही पृष्ठ 2

17. रोमिला थापर, भारत का इतिहास, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली 1993, पृष्ठ– 85

18. वही पृष्ठ 86

19. नीलकंठ शास्त्री, ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1996 पृष्ठ संख्या 39

20. उपेन्द्र ठाकुर, सम एस्पेक्टस ऑफ इंडियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, अभिनव पब्लेकिशन्स, नई दिल्ली 1986 पृष्ठ–120

21. नीरज श्रीवास्तव, मध्यकालीन भारतीय प्रशासन, समाज एवं संस्कृति ओरियंट ब्लैकमैन, द्वितीय संस्करण 2018 पृष्ठ–15 22. वही पृष्ठ 24.

23. डा0 सुष्मिता पांडेय, समाज आर्थिक व्यवस्था एवं धर्म, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल 1991, पृष्ठ–189

24. वही पृष्ठ 191

25. महात्मा गांधी, यंग इंडिया, 1919 – 1922, पृष्ठ – 965

26. वही पृष्ठ 966